

# लोक अदालत (केम्प. मोरवा)

95/5/2017

पत्रावली नं. 1111 कापेक. 818  
'कमिशन, 2017' शिक्ति मोरवा में  
प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत प्रपत्र एवं  
पत्रावली का अवलोकन विधा।  
जार्ज द्वारा जार्ज-पत्र निरूप  
अप्रार्थना कानून चारा-84  
राजस्थान इं-राजस्व अधिनियम, 1956  
प्रस्तुत विधा। हमने Sec. 84  
RLR Act का अनुरोध विधा।  
चारा 84 RLR Act के कानून  
माननीय राजस्व मंडल का अधिनियम  
न्यायालय का कमिशन मंगवाने  
रखा आराधो का पुनरीक्षण (Revise)  
करने शक्ति प्राप्त है। उक्त  
चारा-84 के कानून इस न्यायालय  
का प्रपत्र अर्थात् करने की अधिकाधिक  
नहीं है। कल जार्ज द्वारा प्रस्तुत  
प्रपत्र अधिकाधिक इस न्यायालय  
में नहीं लेने लें जार्ज-पत्र अप्रार्थना  
स्वार्थिता विधा बाला है। आदेश पुनः  
गदा।



(राजेश मेधाडा)  
प्रभारी अधिकारी रा. लो. न. न.  
राजस्थान अधिकाधिक न्यायालय